-प्रेस नोट-

दिनांक:14.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ फाइनेंस कर्मी से लूट के बाद गोली मारकर हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार के 02 ईनामी अभियुक्त सहित कुल 04 शातिर लुटेरे बदमाश घायल/गिरफ्तार

बरामदगी का विवरणः-

- **01 पिस्टल देशी .32 बोर व 03 जिन्दा 03 खोखा कारतूस**
- **03 तमंचे .315 बोर व 05 जिन्दा /06 खोखा कारतूस**
- **घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर न0 (UK08P3738)**
- **घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर न0 (UP11CK3210)**
- **04 मोबाइल फोन**
- **1,50,000/- रूपये बरामद**
- **काला बैग , पैन कार्ड , एटीएम कार्ड , चैक बुक , ड्राईविंग लाईसेन्स व आधार कार्ड (मृतक आशीष का)**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट की घटनाओं की रोकथाम व अपराधिक घटनाओ मे संलिप्त वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2025 की रात्रि को गश्त व चैकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक सरसावा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अम्बाला हाईवे पर नकुड़ रोड़ स्थित निर्माणाधीन कालोनी में 04 संदिग्ध लोग किसी अपराधिक घटना को करने की फिराक मे है इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरसावा मय फोर्स मौके पर पहूँचे तो 02 मोटरसाइकिल सवार 04 नकाबपोश बदमाश पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, **01 मोटर साइकिल सवार 02 बदमाश माजरी गांव व दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 02 बदमाश नकुड़ रोड़ की तरफ भागने लगे** तो प्रभारी निरीक्षक द्वारा चैकिंग कर रही दूसरी पुलिस टीम को नकुड़ रोड़ की तरफ भागने वाले बदमाशों का पीछा कर गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया व स्वयं मय फोर्स माजरी गांव की तरफ जाने वाले बदमाशों का पीछा करने लगे। इस दौरान बदमाशों की मोटरसाइकिल खडंजे पर अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गयी तो मोटर साइकिल सवार दोनों बदमाश पैदल ही पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागकर एक आम के बाग में घुस गये और पुलिस पर अन्धाधुन्ध फायरिंग करने लगे जिसमें प्रभारी निरीक्षक सरसावा की बुलेट प्रुफ जैकेट में गोली लगने पर घायल होने से बाल-बाल बचे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में दोनो बदमाशों के पैर में गोली लग गई तथा पुलिस टीम द्वारा दोनो बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल अभियुक्तों की पहचान **1. सहदेव उर्फ घोल्ला पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड व 2. अनुज पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड** के रूप में हुई । **नकुड़ रोड़ की तरफ भागे दोनो बदमाशों को दूसरी पुलिस टीम** द्वारा पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम को अपने करीब आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनो

बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम द्वारा दोनो बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल अभियुक्तों की पहचान **3.अमनदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड व 4. आकाश उर्फ गोल्डी पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 1,50,000/- रूपये नकद, 01 पिस्टल .32 बोर मय 03 जिन्दा/03 खोखा कारतूस, 03 तमंचे 315 बोर मय 05 जिन्दा/06 खोखा कारतूस, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल व मृतक से सम्बन्धित प्रपत्र (क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक आदि) बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. अनुज उपरोक्त व 2. अमनदीप उपरोक्त पर 25-25 हजार रूपये के ईनामी अपराधी है। **थाना सरसावा पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0स0 116/2025 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।** अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दो मुकदमें पंजीकृत किये गये विवरण निम्नवत् है 1. मु0अ0सं0 124/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 2. मु0अ0सं0 125/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किये गये है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश उर्फ गोल्डी उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं 01 साल पहले रूड़की में काम करता था इस दौरान मेरी मुलाकात अनुज पुत्र महेन्द्र सिह से हुई थी जिसके बाद मै वहा से काम छोडकर वापस सरसावा आ गया था। काफी दिनो से मेरे पास अनुज के फोन आ रहे थे कि भाई मेरी पास पैसे की काफी तंगी चल रही है कोई ऐसा काम बता कि बडा माल हाथ लगे उसके बाद मैने बैंको के आस पास काफी लोगो की रैकी की मुझे कुछ समझ मे नही आया मेरे ही मकान के पास रहने वाले मृतक आशीष त्यागी से मुलाकात हुई बात चीत के दौरान मुझे मालूम हुआ कि आशीष फाईनेन्स कम्पनियो से पैसा कलेक्शन करके बैको मे पैसा जमा करता है इसके बाद मैने कई दिन आशीष त्यागी की रैकी करने के बाद मैने फोन पर अनुज कुमार को अपना प्लान बताया तो अनुज कुमार ने मुझसे कहा कि मै अपने दो साथियों व तमंचे साथ लेकर आऊंगा, उसके बाद मै, अनुज कुमार व उसके दो साथियों अमनदीप और सहदेव उर्फ धौल्ला के साथ शाम के वक्त ग्राम अगवानहेडा के पास मिले और उसके बाद अनुज मेरी मोटरसाईकल पर बैठ गया और सहदेव व अमनदीप दूसरी मोटरसाईकिल पर बैठकर हम चिलकाना रोड पर आ गये और घटनास्थल से करीब 50-60 मीटर आगे हम खडे होकर आशीष त्यागी का इन्तजार करने लगे जैसे ही मोटरसाईकिल पर आशीष त्यागी और उसका भाई आये तभी हम चारों साथी भी मोटरसाइकिल पर उनकी कार के पास आ गये और पहले से तय योजना के अनुसार हम लोगो ने आशीष त्यागी से रुपयों से भरा बैग छीनते हुए गोली मारकर भाग गये थे आज जो रूपये आपने हमसे बरामद किये है ये उसी दिन छीने हुए रूपयो में से है। गिरफ्तार अभियुक्तगण से लूट की घटना की शेष रकम के सम्बन्ध में पूछताछ कर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अमनदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
2. अनुज पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
3. सहदेव उर्फ घौल्ला पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम टिकोला थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
4. आकाश उर्फ गोल्डी पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 पिस्टल देशी 32 बोर मय 03 जिन्दा 03 खोखा कारतूस, 03 तमंचे 315 बोर मय 05 जिन्दा /06 खोखा कारतूस, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर न0 UK08 P3738, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर

न0 UP 11CK 3210, 04 मोबाइल फोन, लूटे हुए रूपये 1,50,000/- रूपये, काला बैग , पैन कार्ड , एटीएम कार्ड , चैक बुक , ड्राईविंग लाईसेन्स व आधार कार्ड (मृतक आशीष का) बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अमनदीप उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 116/2025 धारा 103(1)/309(6)/3(5)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 125/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अनुज उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 116/2025 धारा 103(1)/309(6)/3(5))/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 124/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सहदेव उर्फ घौल्ला उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 116/2025 धारा 103(1)/309(6)/3(5))/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 124/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आकाश उर्फ गोल्डी उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 116/2025 धारा 103(1)/309(6)/3(5))/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 125/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार गुप्ता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री ललित सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
8. उ0नि0 श्री महेशचन्द्र थाना नागल जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
10. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
11. है0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
12. है0का0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
13. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
14. का0 688 प्रवीण तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 14.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 13/14.04.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त गय्यूर पुत्र साहुद निवासी मौहल्ला मातागढ मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 13 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गय्यूर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं स्मैक को राह चलते लोगो को अच्छे दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है और मै अपने शौक पूरे करता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गय्यूर पुत्र साहुद निवासी मौहल्ला मातागढ मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 13 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा/01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम एंव अवैध अस्लाह रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 14.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **साकिर पुत्र असगर निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम मुर्तजापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा/01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हूए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0-138/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पुलिस ने जो मुझसे तमंचा बरामद किया है उसे मैं लोगो को डराने व धमकाने केलिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

साकिर पुत्र असगर निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त कुर्बान का आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 316/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा /01 जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1835 सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 14.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,कानून एवं शांति व्यवस्था वनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अभियुक्त धर्मवीर पुत्र गुल्लू निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त उपरोक्त को श्रीमान जिला अधिकारी न्यायालय के आदेश पर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से जिला बदर किया गया था। थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त को जिला बदर का नोटिस तामील कराते हुए जनपद की सीमाओं से बाहर छोडा गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा जिला बदर अपराधियों/अभियुक्तों के सत्यापन हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा **पूर्व में** जिला बदर किये गये **अभियुक्त धर्मवीर पुत्र गुल्लू निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 137/25 धारा- 10 यूपी गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धर्मवीर पुत्र गुल्लू निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 259/2022 धारा 380/411 भा०द०वि० थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 155/2022 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 297/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार कराने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2.है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

4.का0 2556 विशाल बाबू थाना बेहट जनपद सहारनपुर